

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

.....^{श्रीक} बनाम^{नरसुख}
 किस्म मुकदमा मु. नं०⁷⁴ वर्ष²⁰²⁰
²²³

12.8.21

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पोंडेंट/उपरिथित पीठासीन अधिकारी महोदय आज.....^{दोपहर} पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक.....^{24.8.21} को पेश हो।

24.8.21

पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोंडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलांट शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस धाज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सके पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक.....^{8.11.21} को पेश हों।

30.9.21

अपीलांट वकील ने 57-77/कि.नं. 8000 पेश कर पत्रावली पेश। वकील अपीलाट ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलांट से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलांट नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सारे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब नकमील दाखिल दफतर हो।

अपील को
 चलाया नहीं
 जा रहा है
 Shaukat Khan

निस्तार
 पदचालन
 [Signature]

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
 सीकर (कैम्प इन्डियन)